मध्यप्रदेश विधान सभा

नवम्बर-दिसम्बर, 1994 सत्र

दैनिक कार्य सूची

शुक्रवार, दिनांक 16 दिसम्बर, 1994 (अग्रहायण 25, 1916)

समय 10.30 बजे दिन

1. प्रश्नोत्तर

पृथकतः वितरित सूची में सम्मिलित प्रश्न पूछे जायेंगे तथा उनके उत्तर दिये जायेंगे.

2. पत्रों का पटल पर रखा जाना

(1) श्री सुभाष यादव, उप मुख्यमंत्री (कृषि) -

(क) कम्पनीज एक्ट, 1956 की धारा 619-क की उपधारा (3) (ख) की अपेक्षानुसार दि मध्यप्रदेश स्टेट एग्रो इंडस्ट्रीज डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड का 21 वां वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखे वर्ष 1989-90; तथा

(ख) इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय अधिनियम, 1987 (क्रमांक 20 सन् 1987) की धारा 42 की उपधारा (3) की अपेक्षानुसार इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय, रायपुर की वैधानिक ऑडिट रिपोर्ट, उत्तर एवं प्रबंध मंडल की टिप्पणी वर्ष 1991-92 (अनुभाग-1),

पटल पर रखेंगे.

(2) श्री बी.आर. यादव, वन मंत्री, जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 40 (7) तथा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा 36 (7) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का लेखा परीक्षा प्रतिवेदन वर्ष 1991-92 पटल पर रखेंगे.

(3) श्री बिसाहू लाल सिंह, राज्यमंत्री पशुपालन, मध्यप्रदेश राज्य पशुधन एवं कुक्कुट विकास निगम अधिनियम, 1982 (क्रमांक 37 सन् 1982) की धारा 27 की उपधारा (3) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश राज्य पशुधन एवं कुक्कुट विकास निगम का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 1992-93 पटल पर रखेंगे.

(4) श्री रत्नेश सॉलोमन, राज्यमंत्री खाद्य तथा नागरिक आपूर्ति, कम्पनीज एक्ट, 1956 की धारा 619-क की उपधारा (3) (ख) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश स्टेट सिविल सप्लाइज कार्पोरेशन लिमिटेड, भोपाल की 18 वीं वार्षिक रिपोर्ट वर्ष 1991-92 पटल पर रखेंगे.

3. नियम 138 (1) के अधीन ध्यानाकर्षण

(1) सर्वश्री शिवप्रताप सिंह (सूरजपुर), बनवारीलाल अग्रवाल, सदस्य, सरगुजा जिले के अनेक ग्रामों में मस्तिष्क ज्वर से हुई मौतों की ओर लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(2) श्री बृजमोहन अग्रवाल, डॉ. गौरीशंकर शेजवार, सदस्य, रायपुर में लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के मुख्य अभियंता कार्यालय द्वारा वित्तीय अनियमितताएं किये जाने की ओर लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(3) श्री मोती कश्यप, सदस्य, जबलपुर में चुनावों के दौरान पुलिस प्रशासन द्वारा अराजकता की स्थिति उत्पन्न किये जाने की ओर मुख्यमंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(4) सर्वश्री भंवर सिंह शेखावत, रघुनन्दन शर्मा, सदस्य, जबलपुर में पदस्थ एक मुख्य अभियंता द्वारा जन्मतिथि में हेरा-फेरी किये जाने की ओर लोक निर्माण मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(5) श्री बाबूलाल गौर, सदस्य, रायसेन जिले के मंडीदीप स्थित सी.जे. जिलेटिन फैक्ट्री से श्रमिकों को बर्खास्त किये जाने की ओर श्रम मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(6) श्री थावरचन्द गेहलोत, सदस्य, शासन द्वारा उज्जैन एवं मन्दसौर के शक्कर कारखानों को बन्द करने से उत्पन्न स्थिति की ओर राज्य मंत्री वाणिज्य एवं उद्योग का ध्यान आकर्षित करेंगे.